रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D (DN) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 76] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 29, 1992/माघ 9, 1913
No. 76] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 29, 1992/MAGHA 9, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 1992

पर्यावरण अनापत्ति पर पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3(1) और धारा 3(2) (v) तथा पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5(3) (क) के अधीन

का.आ. 88(अ).—अत्यधिक मृदा कटाव और कतिपय विकासात्मक क्रियाकलापों के कारण जल और वायु प्रदूषण से पर्यावरण की गुणवत्ता के कारण पर्याप्त प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव परिलक्षित हुआ है, जिससे न केवल प्राकृतिक स्रोतों जैसे जंगल, कच्छ वनस्पति, आर्द्र भूमि, नदियों, झीलों, जैनी पूल आरक्षितियों और वनस्पति सुरक्षा के विनाश को संकट पैदा हुआ है, जो देश के बड़े भागों में तेजी से महत्व खो रहे हैं, बल्कि उससे जीव मात्र पशु और मानव दोनों के स्वास्थ्य और उत्तरजीविता पर भी प्रभाव पड़ रहा है,

और यह आवश्यक है कि प्राकृतिक स्रोतों पर जीव समुदाय के दबाव के साथ ही वायु, जल और भूमि के प्रदूषण पर जो इतना गहरा है कि हमारे प्राकृतिक, जैविक और आनुवंशिक सम्पत्ति को गम्भीर खतरा हो गया है, नियंत्रण करके पर्यावरण का संरक्षण किया जाए और उसकी क्वालिटी को सुधारा जाए;

और कतिपय विकास परियोजनाएं प्रतिध्वनि पद्धति में परिभाषित दूरियों से परे व्यायसंगत अवस्थिति में प्रतिध्वनि पद्धति की वहन क्षमता के भीतर चलाई जानी चाहिए, जो अन्यथा प्रतिबल के अधीन आएंगी, जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विकासात्मक कार्यकलाप पर्यावरण और उसके विकास के साथ तालमेल रखते हुए किए जाते हैं;

और पूर्वोक्त उद्देश्य प्रत्येक परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण और परियोजना के प्रारम्भ में ही प्रतिकूल प्रभाव के निवारण, विलोपन या न्यूनीकरण के लिए आवश्यक पर्यावरण प्रबन्ध योजना के आधार पर किसी क्षेत्र में अवस्थित किए जाने के लिए प्रस्थापित किसी परियोजना के सावधानीपूर्वक निर्धारण द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खण्ड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देशित करती है कि पर्यावरण (संरक्षण) नियम 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खण्ड (ध) के अधीन इस अधिसूचना के अन्तिम प्रकाशन की तारीख

से ही अनुसूची 1 या अनुसूची 2 में सूचीबद्ध किसी नई परियोजना, विद्यमान उद्योग या परियोजना का विस्तारण या आधुनिकीकरण भारत के किसी भी भाग में हाथ में नहीं लिया जाएगा जब तक कि उसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या संबंधित राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण संबंधी अनापत्ति न अनुदत्त कर दी गई हो।

2. अनुसूची 2 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी आरक्षित जंगलों या अभिहित परिस्थितिक रूप से सुग्राही क्षेत्र की सीमा के दस किलोमीटर के भीतर अथवा राष्ट्रीय उद्यान या शरण स्थान की सीमा के 25 किलोमीटर के भीतर अवस्थित किए जाने के लिए प्रस्थापित किसी परियोजना को केन्द्रीय सरकार से पर्यावरण संबंधी अनापत्ति की आवश्यकता होगी।

3. अनुसूची 1 और अनुसूची 2 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण और वन मंत्रालय किसी राज्य सरकार द्वारा किसी परियोजना को दी गई पर्यावरण संबंधी अनापत्ति का पुनर्विलोकन कर सकेगा यदि--

(क) उस मंत्रालय को प्रभावित पक्षकारों से ऐसी अनापत्ति के विरुद्ध कोई लिखित अभ्यावेदन प्राप्त होता है, या

(ख) यह प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि उस मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट पर्यावरणीय संबंधी मानकों और सन्नियमों की संबंधित राज्य सरकार द्वारा ऐसी अनापत्ति देते समय अवहेलना की गई है।

4. परियोजना की पर्यावरण संबंधी अनापत्ति प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया :-- (I) कोई व्यक्ति जो भारत के किसी भाग में किसी परियोजना को अथवा अनुसूची 1 और अनुसूची 2 में सूचीबद्ध किसी विद्यमान उद्योग या परियोजना के विस्तारण या आधुनिकीकरण को हाथ में लेना चाहता है, सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय नई दिल्ली, को जहां पर्यावरण संबंधी अनापत्ति केन्द्रीय सरकार से अपेक्षित है, या संबंधित राज्य सरकार के पर्यावरण सचिव को, जहां राज्य सरकार से पर्यावरण संबंधी अनापत्ति अपेक्षित है, एक आवेदन भेजेगा। यह आवेदन इस अधिसूचना से संलग्न प्रोफार्मा (उपाबंध) में किया जाएगा और उसके साथ परियोजना की ब्यौरेवार रिपोर्ट होगी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पर्यावरण संबंधी प्रभाव निर्धारण रिपोर्ट और केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार तैयार की गई पर्यावरण प्रबन्ध योजना होगी।

(2) निम्नलिखित स्थल विनिर्दिष्ट परियोजनाओं की दशा में--

(क) खनन;

(ख) पिट हैड उष्मीय शक्ति केन्द्र;

(ग) हाइड्रो जल विद्युत शक्ति परियोजना; और

(घ) बहु उद्देश्यीय नदी घाटी परियोजना,

केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय से पेड़ों का काटना, किसी भी प्रकार का अस्थायी या स्थायी वेधन, खोदना या सन्निर्माण अन्तर्वलित करने वाला कोई अन्वेषण प्रारम्भ करने से पूर्व प्रारम्भिक स्थल संबंधी अनापत्ति अपेक्षित होगी।

उक्त स्थल संबंधी अनापत्ति मंजूर की गई क्षमता के लिए अनुदत्त की जाएगी और सन्निर्माण प्रारम्भ करने के लिए पांच वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।

(III) (क) आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई ब्यौरेवार परियोजना रिपोर्ट का, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के प्रभाव निर्धारण अभिकरण द्वारा, इस अधिसूचना की अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट संरचना वाली विशेषज्ञ समिति के परामर्श से मूल्यांकन और निर्धारण किया जाएगा।

(ख) उक्त विशेषज्ञ समिति को परियोजना से संबंधित संक्रियाओं के प्रारम्भ से पूर्व, उनके दौरान या उनके पश्चात् किसी समय, यथास्थिति, स्थल या कारखाना परिसरों में प्रवेश करने और उनका निरीक्षण करने का पूर्ण अधिकार होगा।

(ग) प्रभाव निर्धारण अभिकरण दस्तावेजों के तकनीकी निर्धारण और परियोजना प्राधिकारियों द्वारा किए गए आंकड़ों, जो स्थल अथवा कारखाने में की गई यात्राओं के दौरान संगृहीत आंकड़ों द्वारा अनुपूरित होंगे। प्रभावित जनसंख्या और पर्यावरण संबंधि समूहों की अन्तः क्रिया पर आधारित सिफारिशें तैयार करेगा। ये सिफारिशें और शर्तें जिनके अधीन रहते हुए पर्यावरण संबंधी अनापत्ति दी गई है, संबंधित पक्षकारों को उपलब्ध कराई जा सकती हैं। निर्धारण अपेक्षित दस्तावेजों की और परियोजना प्राधिकारियों से आंकड़ों की प्राप्ति पर तीन मास की कालावधि के भीतर पूरा किया जाएगा।

(IV) संबंधित प्रभाव निर्धारण अभिकरण को सिफारिशों के प्रभावी कार्यान्वयन और उन शर्तों को, जिनके अधीन पर्यावरण संबंधी अनापत्ति दी गई है, मानिटर करने के लिए संबंधित परियोजना प्राधिकारी संबंधित अभिकरण को छमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

5. इस अधिसूचना में अन्तर्विष्ट प्रस्थापित निदेशों के विरुद्ध कोई आपत्ति फाइल करने में हितबद्ध कोई व्यक्ति लिखित रूप में सचिव पर्यावरण और वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी जी ओ काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली के पास राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से साठ दिन के भीतर फाइल कर सकेगा।

[सं. जेड-12013/4/89-आई ए-I]

आर. राजमणि, सचिव (ई और एफ)

अनुसूची 1

केन्द्रीय सरकार से पर्यावरणीय निर्बाधन की अपेक्षा रखने वाली परियोजनाओं की सूची

1. परमाणु शक्ति
2. तापीय शक्ति
3. बहु उद्देश्यीय नदी घाटी परियोजनाएं
4. पत्तन, बंदरगाह और विमानपत्तन
5. रेल पथ (जिसमें गैर रेल पथ भूमि का अर्जन भी सम्मिलित है)
6. परिष्करण
7. उर्वरक
8. नाशक जीवमार और कीटनाशी
9. पेट्रोरसायन

10. विस्फोटक और उपसाधन

11. औषधि और औषधि निर्माण (विनिर्मिति के सिवाए)

12. प्लास्टिक उत्पादन

13. रबड़ संश्लिष्ट

14. एस्बेस्टास और एस्बेस्टास उत्पाद

15. सोडियम और पोटाशियम साइनाइड

16. प्राथमिक धातुकर्मीय उद्योग (जस्ता, सीसा, तांबा, एल्युमिनियम और इस्पात)

17. एकीकृत इस्पात संयंत्र

18. ट्रक, जीप, कार और अन्य भारी यानों के टायर/ट्यूब

19. क्षार (एन ए ओ एच)

20. एकीकृत पेंट काम्पलेक्स

21. मानव निर्मित फाइबर (संश्लिष्ट और अर्द्ध संश्लिष्ट, रेयान, नायलोन और पालिएस्टर)

22. सीसा प्रक्रमण सहित भंडारण बैट्री।

33. परिसंकटमय अपशिष्ट और क्लोरीनित हाइड्रोकार्बन के लिए भस्मीकरण संयंत्र

24. अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट से ऊपर ऐसी सभी परियोजनाओं के लिए प्रारंभिक मानदंड।

अनुसूची 2

राज्य सरकार से पर्यावरणीय निर्बाधन की अपेक्षा रखने वाली परियोजनाओं की सूची

(अधिसूचनाओं के पैरा 2 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए)

परियोजना की प्रकृति	प्रारंभिक मापदंड (यदि कोई हों)
1. मृत्तिका शिल्प	
2. कोयला प्रक्षालक	
3. वृष्टिकाकरण	
4. कार्बनिकरण संयंत्र	
5. इंजीनियरी (नलिका, संचक, रोलिंग मिल)	
6. उच्चताप मह	
7 पाइप पथ (आर सी सी, इस्पात, सीवनहीन)	
8. कैल्सियम कार्बाइड	
9. कार्बन ब्लैक	
10. स्नेहक तेल	
11. कांच	
12. औषधि और औषधि निर्माण (विनिर्मिति)	
13. विद्युत लेपन	
14. भंडारण बैट्री (गैर सीसा प्रक्रमण)	
15. क्षार (एन ए 2, सी ओ 3 और सी ए सी ओ 3)	
16. प्लास्टिक प्रक्रमण (एच डी पी ई, एल एल डी पी ई-एल डी पी ई, पी वी सी, पी पी आदि)	
17. दोपहिया और साइकिल रिक्शा का टायर/ट्यूब।	
18. सभी प्रकार के टायरों का निर्वतन।	
19. पेंट (वार्निश, कार्कोल रसायन, वर्णक)	
20. रंजक इकाई उद्योग	
21. साबुन और अपमार्जक	
22. खाद्य प्रसंस्करण (मांस, मछली, प्राणिजन्य उत्पाद)	
23. दुग्ध प्रसंस्करण	
24. कागज उत्पाद	
26. गैर परिसंकटमय अपशिष्टों के लिए भस्मीकरण संयंत्र।	

26. जल विद्युत शक्ति	उत्पादन क्षमता
(क) नई परियोजनाएं	10 मेगावाट तक
(ख) विद्यमान नहर या विद्यमान बांध पर पहले से ही अन्य स्थापित पेनस्टाक सहित सभी विद्युत गृहों का पता लगाना।	10 मेगावाट तक
27. सीमेंट	200 टन प्रतिदिन तक
28. इस्पात संयंत्र	50,000 टी.पी.ए. तक
29. चमड़ा चर्मशोधन	5,000 खाल प्रतिदिन तक
30. आसवन	150 किलोमीटर प्रतिदिन तक
31. चीनी	1000 टन प्रतिदिन गन्ना तक
32. टेक्सटाइल	500 मीटर प्रतिदिन तक
33. लुगदी, कागज और अखबारी कागज	33,000 टन प्रतिदिन तक
34. रंजक माध्यम	5 टन प्रतिदिन तक
35. नाप दृढ़, फीनोल और यूरिया फार्मल्डीहाइड	5000 टन प्रतिदिन तक
36. अम्ल	500 टन प्रतिदिन तक
37. वनस्पति तेल प्रसंस्करण	500 टन प्रतिदिन तक
	पूंजीलागत
38. ढलाई	रुपए 20 करोड़ तक
39. संचार	रुपए 20 करोड़ तक
40. समुद्र से एक किलोमीटर की ऊंचाई की सतह या 10000 मीटर की ऊंचाई के भीतर पर्यटन और अन्य परियोजनाएं।	रुपए 5 करोड़ तक
	क्षेत्र
41. सिंचाई	2000 हेक्टर कमांड क्षेत्र तक
42. खनन	5 हेक्टर पट्टा तक
43. सड़कें (हिमालय और उसकी वन भूमि में)	5 किलोमीटर लंबाई तक
44. औद्योगिक सम्पदा	100 यूनिट
45. औद्योगिक शहरी क्षेत्र नया और विस्तारित।	5000 आवासीय यूनिट

अनुसूची-3

पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण के लिए विशेषज्ञ, समितियों की संरचना

निम्नलिखित से मिलकर बने प्रत्येक विकास क्षेत्र में तकनीकी विशेषज्ञों से गठित विशेषज्ञ समितियां, केन्द्रीय या राज्य स्तर पर विकास सेक्टरों का मूल्यांकन और निर्धारण करेगी :

1. सुसंगत विकास सेक्टर में ऐसा प्रतिभाशाली और अनुभव पारिस्थितिकी विज्ञानी या पर्यावरणीय विज्ञानी या तकनीकी वृत्तिक जिन्होंने पर्यावरणीय संरक्षण और किए जाने योग्य विकास में अभिरुचि प्रदर्शित की हो—अध्यक्ष।

विशेषज्ञ सदस्य

ऐसे सदस्य जो सुसंगत क्षेत्र में एम. टेक/पी.एच.डी. हैं और जिनके पास सुसंगत विकास सेक्टर में पर्यावरणीय प्रबन्ध में कम से कम 8 वर्ष के अनुभव के साथ दीर्घकालीन अनुभव है :

2. पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधक साथ ही तंत्र प्रबन्ध और प्रतिरूपण अनुभव
3. वायु प्रदूषण नियंत्रण
4. जल प्रदूषण नियंत्रण
5. वनस्पति/प्राणी संरक्षण और प्रबंध
6. जल संसाधन प्रबंध
7. भूमि उपयोग योजना/निम्नीकृत भूमि का जैव उद्धार
8. जलीय जीवन का संरक्षण और सुरक्षण

9-10 पारिस्थितिकी विज्ञानी (2)

11 विस्थापित परियोजना के पुनर्वास के अनुभव के साथ सामाजिक वैज्ञानिक

12 अर्थशास्त्र और परियोजना आंकलन की पृष्ठभूमि का विशेषज्ञ

13-14 सुसंगत विकास सेक्टर में विषय क्षेत्र विशेषज्ञ (2)

15 गैर सरकारी संस्था पर्यावरणीय अनुसंधान समूह का प्रतिनिधि

16 केन्द्र/राज्य में प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण का प्रतिनिधि। सदस्य-सचिव

टिप्पण :—विशेषज्ञ, अपनी व्यष्टिक क्षमता के अनुसार कार्य करेंगे सिवाए उनके जिन्हें विशिष्ट रूप से प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट किया गया है।

उपाबंध

आवेदन प्ररूप

1. (क) प्रस्तावित परियोजना का नाम और पता

(ख) परियोजना की अवस्थिति
 स्थान का नाम
 जिला, तहसील
 अक्षांश/देशांश
 समीपतम विमान पत्तन/रेलवे स्टेशन

(ग) परीक्षित अनुकल्पिक स्थल और प्रस्तावित स्थल के लिए कारण

2. परियोजना के उद्देश्य

(क) भूमि अपेक्षा
 कृषि भूमि
 वन भूमि और वनस्पति का घनत्व
 अन्य (विनिर्दिष्ट करें)

(ख) (1) आवाह में भूमि उपयोग/प्रस्तावित स्थल के 10 कि.मी. की परिधि के भीतर
 (2) ऊंचाई, अभिमुखता और तुंगता को दर्शाते हुए क्षेत्र की स्थलाकृति
 (3) क्षरण की सुभेद्यता

(ग) 10 कि.मी. की परिधि में विद्यमान प्रदूषण स्रोत और उनका वायु, जल तथा भूमि की गुणवत्ता पर प्रभाव।

(घ) समीपतम राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्य/आरक्षित/जीवमंडल/संस्मारक/परंपरास्थल/आरक्षित वन की दूरी।

(ङ) खदानों/उधार क्षेत्रों के लिए पुनर्वास योजना

(च) हरित पट्टी योजना

(छ) प्रतिकरात्मक वनरोपण योजना

4 जलवायु और वायु की गुणवत्ता

(क) स्थल पर पवनारेख

(ख) वार्षिक अधिकतम/न्यूनतम/माध्यमिक तापमान

(ग) प्रतिलोमन की बारंबारता

(घ) चक्रवात/टोरनेडो/वृष्टि प्रस्फोट की आवृत्ति

(ङ) परिवेश वायु गुणवत्ता आंकड़ा

(च) परियोजना से उत्सर्जित एस पी एम गैसों
(सी ओ, सी ओ2, एस ओ2, एन ओ2, सी एच एन
आदि) की प्रकृति और मात्रा

5 (क) जल-संतुलन स्कीम

(ख) शुष्क मौसम जल उपलब्धता, जल अपेक्षा

(ग) प्रतियोगी उपयोक्ताओं (नदी, झील, भूमि धोक प्रदाय) से टेप किया जाने वाला स्रोत

(घ) जल गुणवत्ता

(ङ) गत 15 वर्षों में भूमिगत-जल में संप्रेक्षित परिवर्तन और वर्तमान परिवर्तन तथा निष्कर्षण दरों

(च) (1) उपचार दरों के साथ छोड़े जाने वाले अपशिष्ट जल की मात्रा

(2) अपशिष्ट जल के व्ययन के पहले और बाद में ग्राही स्थान पर जल की गुणवत्ता की प्रमात्रा

(छ) (1) आवश्यक आधार उपचार योजना के साथ कुल जल की गुणवत्ता के ब्यौरे

(2) प्रस्तावित क्षेत्र विकास योजना

6 ठोस अपशिष्ट

(क) निस्तारण व्ययन के लिए जनित ठोस अपशिष्टों की प्रकृति और मात्रा

(ख) वायु, जल और भूमि के साथ होने वाले प्रदूषण के निवारण के लिए ठोस अपशिष्ट व्ययन रीति

7. शोर और कम्पन

(क) शोर और कम्पन के स्रोत

(ख) परिवेश शोर स्तर

(ग) प्रस्तावित शोर और कम्पन नियंत्रण उपाय

(घ) नियंत्रण उपायों में अवशेष समस्या, यदि कोई हो

8 प्रदाय के स्रोत को दर्शाते हुए शक्ति अपेक्षा; यदि स्थैतिक शक्ति एकक का प्रस्ताव हो, तो पूर्ण पर्यावरणीय ब्यौरे अलग से दें

9. ब्यौरों के साथ अभिनियोजित किया जाने वाला अधिकतम श्रम बल

कार्यबल की आरंभिक छानबीन के माध्यम से स्वास्थ्य प्रास्थिति--श्रमिकों और कर्मचारिवृन्द, दोनों की

क्षेत्र में अपशिष्ट/भूमि से उत्पन्न रोगों के कारण स्थानिक स्वास्थ्य समस्याएं

प्रस्तावित स्वास्थ्य पद्धति

10 (क) ग्रामों की संख्या और जनसंख्या उपदर्शित की जाए

(ख) पुनर्वास मास्टर प्लान

11. संकट प्रबंध योजना के साथ जोखिम निर्धारण रिपोर्ट

12. (क) परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट

(ख) पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण रिपोर्ट

(ग) पर्यावरणीय प्रबंध योजना

13. पर्यावरणीय प्रबंध कक्ष का विस्तृत ब्यौरा

14 वायु और जल की गुणवत्ता निगरानी केन्द्रों का स्थापित किया जाना

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, 29th January, 1991

[Under Section 3(1) and Section 3(2) (v) of Environment (Protection) Act, 1986 and Rule 5(3)(a) of Environment (Protection) Rules, 1986 on Environment Clearance].

Whereas considerable adverse environment impact has been caused due to degradation of the environment with excessive soil erosion and water and air pollution on account of certain development activities, thereby engendering not only the destruction of natural resources like forests, mangroves, wetlands, rivers, lakes, genepool reserves and vegetation cover which is fast dwinding in large parts of the country, but also affecting the health and very survival of living beings-both animal and human;

And whereas it is necessary to protect and improve the quality of environment by controlling pollution of air, water and soil along with biotic pressure on natural resources, which is so intense that our natural biological and genetic wealth is threatened with severe damage;

And whereas certain development projects should be carried on within the carrying capacity of the ecosystem through judicious location beyond defined distances from eco-systems which will otherwise come under stress, so as to ensure that developmental activity takes place in harmony with the environment and improvement thereof;

And whereas the aforaised goals can be achieved only by careful assessment of a project proposed to be located in any area, on the basis of an environmental Impact Assessment of each project and the necessary Environment Management Plan for the prevention, elimination or mitigation of the adverse impacts, right from the inception stage of the project;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby directs that on and from the date of the final publication of this notification under clause (d) of Sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the expansion or modernisation of any existing industry or new projects listed in Schedule I or Schedue II shall not be underaken in any part of India, unless it has been accorded environmental clearance by the Central Government or, as the case may be, the State Government concerned in accordance with the procedure hereinafter specified in this notification.

2. Notwithstanding anything contained in Schedule-II, any project proposed to be located within 10 kilometers of the boundary of reserved forests, or a designated ecologically sensitive area, or within 25 kilometers of the boundary of national park or sanctuary, will require environmental clearance from the Central Government.

3. Notwithstanding anything contained in Schedules I and II, the Central Government in the Ministry or environment and Forests may review the environmental clearance given to any project by any State Government if :

(a) written representation is received by that Ministry against such clearance from the affected parties or

(b) it is prima facie evident that environmental imperatives and norms specified by that Ministry have been ignored by the State Government concerned while giving such clearance.

4. Procedure for seeking environment clearance of projects.—(I) Any person who desires to undertake any project in any part of India or the expansion or modernisation of any existing industry or project listed in Schedules I and II shall submit an application to the Secretary, Ministry of Environment and Forests, New Delhi, where environmental clearance is required from the Central Government, or to Environment Secretary of the State Government concerned, where the environmental clearance is required from the State Government. The application shall be made in the proforma appended to this notification and shall be accompanied by a detailed project report which shall, inter alia, include an Environmental Impact Assessment Report and an Environment Management Plan prepared in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment and Forests.

(II) In case of the following site-specified projects :

(a) mining;

(b) pit-head thermal power stations;

(c) hydro-electric power projects; and

(d) Multi-purpose river valley projects,

a preliminary site clearance will be required from the Central Government in the Ministry of Environment and Forests before initiating any investigations involving cutting of trees, drilling, digging or construction of any sort temporary or permanent.

The said site clearance will be granted for the sanctioned capacity and will be valid for a period of 5 years for commencing the construction.

(III) (a) The detailed project report submitted with the application shall be evaluated and assessed by the Impact Assessment Agency of the Central Government or, as the case may be, of the State Government in consultation with a committee of Experts, having a composition as specified in Schedule III to this notification.

The said Committee of Experts will have full right of entry and inspection of the site or, as the case may be, factory premises at any time prior to, during, or after the commencement of the operations relating to the project.

(c) The Impact Assessment Agency will prepare a set of recommendations based on technical assessment of documents and data furnished by the project authorities supplemented by data collected during visits to the site or factory, interaction with affected population and environmenal groups. The recommendations and the conditions subject to which environmental clearance is given may be made available to concerned parties. The assessment shall be completed within a period of 3 months on receipt of the requisite documents and data from the project authorities.

(IV) In order to enable the Impact Assessment Agency concerned to monitor the effective implementation of the recommendations and conditions subject to which the environmental clearance has been given, the project authorities concerned shall submit a half-yearly report to the concerned agency.

5. Any person interested in filing any objection against the proposed directions contained in this notification, may do so in writing to the Secretary, Ministry of Environment and Forests, Paryavran Bhavan, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi within 60 days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[No. Z-12013/4/89-IA-I]

R. RAJAMANI, Secy. (EKF)

SCHEDULE-I

LIST OF PROJECTS REQUIRING ENVIRONMENTAL CLEARANCE FROM THE CENTAL GOVERNMENT

1. Atomic Power
2. Thermal Power
3. Multi-purpose River Valley Projects
4. Ports, Harbours and Airports
5. Railway lines (involving acquisition of non-railway land)
6. Refineries
7. Fertilizers
8. Pesticides ad Insectcides
9. Petrochemicals
10. Explosives and Accessories
11. Drugs and Pharmaceuticals (except formulations)
12. Production of Plastics
13. Rubber-Synthetic
14. Asbestos and asbestos pro
15. Sodium or Potassium Cyanide
16. Primary metallurgical industries (Zinc, Lead, Copper Aluminium and Steel)
17. Integrated Steel Plants
18. Tyres/tubes of trucks, jeeps, cars and other heavy vehicles.
19. Alkalis (Na OH)
20. Integrated Paint Complex.
21. Man-made fibres (Synthetics & semi-Synthetics, Rayon, Nylon and Polyester)
22. Storage batteries with lead processing
23. Incineration plants for hazardous waste and chlorinated hydrocabons.
24. All projects with threshold criteria aobve those specified in Schedule-II

SCHEDULE-II

LIST OF PROJECTS REQUIRING ENVIRONMENTAL CLEARANCE FROM THE STATE GOVERNMENT

(Subject to the provisions of para 2 of the notification)

Nature of Projects	Threshold Criteria (if any)
1. Ceramics	
2. Coal Washery	
3. Briquetting	
4. Carbonising Plant	
5. Engineering (Tubings, Castings, Rolling Mills)	
6. Refractories	
7. Pipelines (RCC, Steel, Seamless)	
8. Calcium Carbide	
9. Carbon Black	
10. Reprocessing Lubricating Oil	
11. Glass	
12. Drugs and Pharmaceuticals (Formulations)	

13. Electroplating

14. Storage Batteries (non-lead processing)

15 Alkalis (Na_2 Co_3 and $Ca\ Co_3$)

16 Plastics Processing

(HDPE, LLDPE, LDPE, PVC, PP, etc.)

17 Tyres/Tubes of two-wheelers and cycle rickshaws

18. Retreading of all types of tyres

19. Paints (Varnish, Coal Tar Chemicals, Pigments)

20. Dye Single Industry

21. Soaps and detergents

22 Food Processing (Meat, Fish, Animal Products)

23. Milk Processing

24. Paper Products

25 Incineration Plants for non-hazardous waste

	PRODUCTION CAPACITY	
26 Hydro-electric power		
(a) New projects	Upto 10 MW	
(b) All power houses to be located on existing canal falls or existing dams with already embedded penstocks.	Upto 10 MW	
27. Cement	Upto	200 TPD
28. Steel Plants	Upto	50,000 TPA
29. Leather Tannery	Upto	5,000 Skins PD
30. Distilleries	Upto	150 KLD
31. Sugar	Upto	4,000 TPD cane
32. Textile	Upto	500 Mts/d
33. Pulp, Paper & Newsprint	Upto	33,000 TPA
34. Dye Intermediates	Upto	5 TPD
35. Thermosets Phenol and Urea formaldehyde	Upto	5,000 TPD
36. Acids	Upto	500 TPD
37. Vegetable Oil Processing	Upto	500 TPD
	CAPITAL COST	
38. Foundaries	Upto	Rs. 20 crores
39. Communications	Upto	Rs. 20 crores
40. Tourism and other projects written 1 Km.. of HTL of sea, or at locations with an elevation of more than 1000 mts.	Upto	Rs. 5 crores
	AREA	
41. Irrigation	Upto	2000 Hectare command
42. Mining	Upto	5 hectare lease
43. Roads (in Himalayas or involving forest land)	Upto	5 kms. length
44. Industrial Estates	Upto	100 units
45. Industrial Township (New & Expansion)	Upto	5000 dwelling units

SCHEDULE III

COMPOSITION OF THE EXPERT COMMITTEES FOR ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT.

The evaluation and assessment of development projects at the Central or State level will be undertaken by Expert Committees consisting of technical experts in each development section onstituted as under :

1. An outstanding and experienced ecologist or environmentalist or technical professional in the relevent development sector having demonstrated interest in Environment Conservation and sous-tainable development.

EXPERT MEMBERS

Members with M. Teih.|Ph. D. in the relevant field and long experience including at least 8 years experience in environmental management in relevant sectors :

2. Eco-system Manager with Systems Management & Modelling Experience.
3. Air Pollution Control.
4. Water Pollution Control.
5. Flora|Fauna Survey & Management
6. Water Resources Management
7. Land Use Planning|Biological reclamation of degraded lands.
8. Conservation & Protection of Aquatic Life.
9.10. Ecologists (2)
11. Social Scientist with experience of rehabilitation of project oustees
12. Specialist with background of economics and project appraisal.
13-14. Subject area Specialists in relevant development sectior (2).
15. Representative of NGO|Environmental Action Groups.
16. Representative of Impact Assessment agency at Centre|State. ..Member Secretary.

Note : Experts inducted will serve in their individual capacities except those specifically nominated as representatives.

ANNEXURE

APPLICATION FORM

1. (a) Name & Address of the project proposed :
(b) Location of the projects :
Name of the place :
District, Tehsil :
Latitude|Longitude :
Nearest Airport|Railway Stn.:
(c) Alternate sites examined and the reasons for the site proposed :

2. Objectives of the project :

3. (a) Land Requirement :
Agriculture land :
Forest land and Density of vegetation.
Other (specify):
(b) (i) Landuse in the Catchment|within 10 Kms. radius of the proposed site.
(ii) Topography of the area indicating gradient, aspects & altitude.
(iii) Vulnerability to erosion.
(c) Pollution sources existing in the 10 Km. radius and their impact on quality of air, water & land:
(d) Distance of the nearest National Park|Sanctuary|Biosphere Reserve|Monuments|heritage site|Reserve Forest :
(e) Rehabilitation plan for quarries|borrow areas
(f) Green belt Plan :
(g) Compensatory afforestation plan :

4. Climate & Anr Quality :
(a) Windrose at site
(b) Max|Min.|Mean annual temperature
(c) Incidence of inversion :
(d) Frequency of cyclones|tornadoes|cloud bursts:
(e) Ambient air quality data
(f) Nature & concentration of emission of SPM Gass (CO, CO_2, SO_2, NO_2, CHn etc) from the project:
(a) Water balance site :
(b) Lean season water availability;
Water Requirement :
(c) source to be tapped with competing users (River, lake, Ground, Public Supply)
(d) Water quality :
(e) Changes observed in ground water in the last 15 years and present changing & extraction details :
(f) (i) Quantum of waste water to be released with treatment details
(iii) Quantum of quality of water in the receiving body before and after disposal of Solid Wastes :
(g) (i) Details of reservoir water quality with necessary Catchment Treatment Plan;
(ii) Command Area Development Plan:

6 Solid Wastes :
(a) Nature & quantity of solid wastes generated to be disposed :

(b) Solid waste disposal method to prevent further pollution of air, water and land:

7. Noise & Vibrations :

(a) Sources of noise & vibrations :

(b) Ambient noise level :

(c) Noise & Vibration control measures proposed:

(d) Subsidence problem if any with control measures :

8. Power requirement indicating source of supply; complete environmental details to be furnished separately, if captive power unit proposed:

9. Peak labour force to be deployed giving details of :

— Health status through preliminary screening of workforce—labour & staff both;

— Endemic health problems in the area due to waste/soil borne diseases;

— Health care system proposed;

10. (a) Number of villages & population to be displaced :

(b) Rehabilitation Master Plan:

11. Risk assessment report along with Disaster Management Plan:

12. (a) Detailed Project Report :

(b) Environmental Impact Assessment Report :

(c) Environmental Management Plan.

} Prepared as per Guid lines of MLF.

13. Details of Environmental Management Cell.

14. Details of air & water quality monitoring stations to be set-up.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi 110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1992